UPLL010018452025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ललितपुर।

उपस्थित– यादवेन्द्र सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. CODE– UP–6123

सत्र परीक्षण सं.– 566 वर्ष 2025,

उ०प्र०राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

बनाम

अजरूद्दीन आयु करीब 28 वर्ष पुत्र सिराजुद्दीन, निवासी लहसूर, थाना कामा, जिला भरतपुर (राजस्थान)

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या 0463/2024

अंतर्गत धारा 105, 281, 106(1), 125(a), 125(b), 324(4) बी०एन०एस०

थाना तालबेहट, जिला ललितपुर।

अभियुक्त की ओर से– श्री विक्रम सिंह ठाकुर एडवोकेट

अभियोजन की ओर से– श्री महेन्द्र स्वरूप सविता, ADGC (Crl.)

04–12–2025 :

1. पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त अजरूद्दीन जेरे हिरासत समक्ष न्यायालय उपस्थित हुआ। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 40 ख अंतर्गत धारा 250 बी.एन.एस.एस. पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का सम्यक परिशीलन किया।

2. अभियुक्त अजरूद्दीन की ओर से प्रार्थनापत्र 40 ख अंतर्गत धारा 250 बी.एन.एस.एस. मुकदमा अपराध संख्या 0463/2024, अंतर्गत धारा 105, 281, 106(1), 125(a), 125(b), 324(4) बी०एन०एस०, थाना तालबेहट, जिला ललितपुर में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि दिनाँक 15–12–2024 को टैक्सी नं. यू.पी. 93 डी टी 2760 की कन्टेनर ट्रक नं. एन एल 01 ए 8928 से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर झाँसी पर ग्राम टेटा जमालपुर के पास दुर्घटना हो गयी थी, जिसमें 20 सवारियों में से 3 सवारियों की दुर्घटना में आयीं चोटों के कारण मृत्यु हो गयी थी तथा शेष सवारियां घायल हो गयी थी। उक्त दुर्घटना गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित किये जाने की श्रेणी में नहीं आती है और महज एक दुर्घटना का मामला है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध मात्र धारा 281, 106(1), 125(a)(b) बी०एन०एस० का ही आरोप गठित हो सकता है। अभियुक्त कुशल एवं अनुभवी चालक है और उससे कभी कोई भी दुर्घटना नहीं हुयी है तथा अभियुक्त भरतपुर, राजस्थान का निवासी है, जिससे अभियुक्त उक्त सवारियों को न तो जानता–पहचानता है, न ही उसकी उनसे कोई रंजिश है, जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध धारा

Digitally signed by YADAVENDRA SINGH
Date: 2025.12.04 16:37:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

105 बी०एन०एस० का आरोप गठित नहीं होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा अभियुक्त को धारा 105 बी०एन०एस० के अपराध के आरोप से उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त ने ट्रक को लहराते हुये तेज गति से अन्य वाहनों को क्रॉस कर गम्भीर घटना करने के उद्देश्य से जानबूझकर टैक्सी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठी कुछ सवारियां हाइवे पर चारों तरफ फिक गयी व कुछ सवारियां टैक्सी में घसीटते हुये चली गयी एवं टैक्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी और ट्रक चालक ट्रक लेकर झाँसी की तरफ भाग गया। उक्त दुर्घटना में वादी की पत्नी **श्रीमती पार्वती अहिरवार**, पुत्री **कु. साक्षी** आयु एक वर्ष व एक अन्य महिला **शारदा** निवासी मडिया मुहल्ला कस्बा व थाना सदर, जिला सागर, म.प्र. की **मृत्यु** हो गयी तथा अन्य सवारियां रैना, खुशबू, कसिया सहरिया, विद्यांश कुशवाहा, बलराम अहिरवार, जयपाल, श्रीमती राजो सहरिया, श्रीमती राजकुमारी, सोन, अंशुल, श्रीमती सुधा, काजू, अमर, अनिकेत, अनु, श्रीमती मीना, नारायन, श्रीमती नीतू तथा जय गम्भीर रूप से घायल हो गयी। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र सं. 102/2025 इस न्यायालय द्वारा दिनाँक 10–02–2025 को निरस्त किया जा चुका है। इसके उपरान्त अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष Criminal Misc. Bail Application No. 9972 of 2025 And 23709 of 2025, Azaruddin v. State of U.P. योजित किया गया था, जो गुण–दोष के आधार पर क्रमशः दिनाँकित 05–05–2025 एवं 18–09–2025 को निरस्त किये जा चुके हैं। विवेचक द्वारा केस डायरी पर जो साक्ष्य संकलित किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 105, 281, 106(1), 125(a), 125(b), 324(4) बी०एन०एस० के अपराध का आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। इसी आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. केस डायरी के अनुसार अभियुक्त द्वारा ट्रक नं. एन एल 01 ए 8928 को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये ललितपुर से झाँसी की ओर हाईवे पर ग्राम टेटा जमालपुर से एक किलोमीटर पूर्व ललितपुर की तरफ थाना तालबेहट की सीमा के अंतर्गत फोरलेन चैनल के सहारे बड़े वाहन चलाने की बजाय फोरलेन रोड साइड सड़क से लगी पटरी पर सवारी उतार रही खड़ी टैक्सी में पीछे से जोरदार टक्कर मारना बताया गया है, जिसे विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में दर्शाया गया है, जिससे विदित होता है, कि अभियुक्त जो कि भारी वाहन कन्टेनर ट्रक नं. एन एल 01 ए 8928 का चालक था, जिसे यह जानकारी थी, कि उक्त भारी वाहन से रोड साइड खड़ी टैक्सी में पीछे से ठोकर मारने की दशा में उक्त खड़े वाहन में बैठी सवारियां व चालक को गम्भीर चोटे पहुंचना, जिनसे उनकी मृत्यु होना अत्यधिक सम्भाव्य है।

5. इस सम्बन्ध में **अरूणाचल प्रदेश राज्य बनाम रामचन्द्र रविदास उर्फ रतन रविदास [AIR 2019 SC 4954]** के मामले में भी यह मत व्यक्त किया गया है, कि जब कोई व्यक्ति किसी वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है और ऐसे व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति की तरह जानकारी रही हो, कि उसका कृत्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए घातक होगा और उसे उसके परिणाम की जानकारी थी, तब उस व्यक्ति का कृत्य धारा 304(2) भा.दं.सं. के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आयेगा।

6. केस डायरी में शामिल अभियुक्त से सम्बन्धित वाहन कन्टेनर ट्रक नं. एन एल 01 ए 8928 अशोक लीलेण्ड की तकनीकी परीक्षण आख्या के अनुसार उक्त वाहन के इंजन की दशा, स्टेयरिंग/हैण्डिल सिस्टम की दशा, ब्रेक सिस्टम की दशा, कूलिंग सिस्टम की दशा, ट्रांसमिशन सिस्टम की दशा आदि सन्तोषजनक पायी गयी है, जिससे स्पष्ट होता है, कि घटना घटित होते समय वाहन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी।

7. केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है, कि चालक द्वारा सड़क किनारे खड़ी सवारी टैक्सी में पीछे से टक्कर मारकर कारित की गयी घटना में श्रीमती पार्वती अहिरवार, कु. साक्षी आयु एक वर्ष व श्रीमती शारदा की मौके पर ही मृत्यु होना तथा 19 सवारियों को गम्भीर रूप से घायल होना बताया गया है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता के प्रकाश में विवेचक द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 105, 281, 106(1), 125(a), 125(b), 324(4) बी०एन०एस० के अपराध का आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9. तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थनापत्र** 40 ख अंतर्गत धारा 250 बी.एन.एस. एस. निष्कर्षानुसार **निरस्त** किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप दिनाँक 06–12–2025 को पेश हो।

(यादवेन्द्र सिंह–I),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
ललितपुर।
J.O. CODE– UP–6123